

1122
(1124)

**बिहार सरकार
गृह विभाग।**

अधिसूचना

संख्या.....5629.....दिनांक.....26-12-12.....भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल राज्य अवस्थित काराओं में सहायक कारापाल के पदों पर नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। -

- (i) यह नियमावली 'बिहार सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली, 2012' कही जा सकेगी।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ। - जब तक कोई बात संदर्भ में विरुद्ध न हो, इस नियमावली में-

- (i) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
- (ii) "सरकार के आदेश" से अभिप्रेत है भारत संविधान के अनुच्छेद 166 के अधीन बनायी गयी कार्यपालिका नियमावली में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पारित कार्यपालक आदेश;
- (iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है कारा महानिरीक्षक, बिहार;
- (iv) "नियंत्रि प्राधिकार" से अभिप्रेत है कारा महानिरीक्षक, बिहार;
- (v) "विभाग" से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट गृह विभाग;
- (vi) "सामान्य प्रशासन विभाग" से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट सामान्य प्रशासन विभाग;
- (vii) "कारा निरीक्षणालय" से अभिप्रेत है कारा महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार;
- (viii) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
- (ix) "सहायक कारापाल" से अभिप्रेत है बिहार की काराओं में सहायक कारापाल के सृजित एवं मंजूर पद; तथा
- (x) "प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति" से अभिप्रेत है मुख्य उच्च कक्षपाल पद से सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित प्रतिशत के आधार पर एवं इस नियामवली में यथास्थान उल्लिखित प्रोन्नति दावा की गई है।

3. **संवर्ग का गठन।** — इस संवर्ग में प्रत्येक सोपान के पदों की संख्या तथा उनकी कुल संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा मंजूर/विनिश्चित की गई हो तथा भविष्य में सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर अथवा अधिसूचित की जाय।
4. **आरक्षण।** — बिहार राज्य आरक्षण अधिनियम के समय-समय पर यथा लागू प्रावधान इन सभी भर्ती एवं प्रोन्नति पर प्रभावी होंगे। भर्ती तथा प्रोन्नति का लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी को देय होगा।
5. **भर्ती।** — (1) राज्य अवस्थित काराओं में "सहायक कारापाल" के पद पर, समय-समय पर, विहित निर्धारित वेतनमान में नियुक्ति की जाएगी।
 (2) कुल पदबल के विरुद्ध 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा एवं 30 प्रतिशत पद पर पूर्व सैनिकों से भर्ती द्वारा एवं 20 प्रतिशत पद पर मुख्य उच्च कक्षपाल की प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की जायेगी।
6. **अर्हता।** — (1) शैक्षणिक अर्हता— स्नातक उत्तीर्ण, जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो (सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति, दोनों के लिये)।
 (2) आयु— सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा, निम्नवत् अथवा समय-समय पर जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय, होगी—
 (क) सामान्य कोटि (पुरुष) — 20 से 37 वर्ष
 (ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) — 20 से 40 वर्ष
 (ग) महिला (अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग) — 20 से 40 वर्ष
 (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) — 20 से 42 वर्ष
स्पष्टीकरण—अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के उम्मीदवारों की गणना सामान्य कोटि के उम्मीदवार के रूप में की जायेगी एवं तदनुरूप उनके लिये आयु सीमा वही होगी जो सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए लागू हो।
7. **नियुक्ति के आधार एवं पद्धति।** — सहायक कारापाल के पद पर नियुक्ति के तीन स्रोत होंगे—
 1. आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती;
 2. पूर्व सैनिकों से नियुक्ति;
 3. मुख्य उच्च कक्षपाल पद से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति।
 (i) 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से की जायेगी।
 (ii) 30 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति पूर्व सैनिकों से की जायेगी।

www.dti2

(iii) 20 प्रतिशत पदों पर राज्य के विभिन्न स्तर के काराओं में मुख्य उच्च कक्षपाल पद पर कार्यरत कार्मिकों की सूची से सेवा इतिहास, चिकित्सा परीक्षण एवं वरीयता क्रम के आधार पर की जायेगी।

स्पष्टीकरण।—यदि कंडिका "(ii)" में उल्लिखित पूर्व सैनिकों के निर्धारित 30 प्रतिशत पदों में से निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी किसी पंचांग वर्ष में नहीं मिलते हैं तो उन पदों को कंडिका "(i)" के अनुसार सीधी भर्ती से उस पंचांग (कैलेंडर) वर्ष में भरा जा सकेगा।

1. आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती। —

(i) सहायक कारापाल के राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर एवं सृजित पदों में से 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे। इन पदों पर सीधी भर्ती आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी। आयोग कारा निरीक्षणालय से रिक्तियों से संबंधित सूचना प्राप्त होने के उपरांत विहित प्रक्रियानुसार एक विज्ञापन प्रकाशित करेगा।

(ii) **सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया**—सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में होंगे :—

(क) प्रथम चरण—सर्वप्रथम लिखित परीक्षा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी।

(ख) द्वितीय चरण—शारीरिक योग्यता जाँच, विहित प्रावधानों के अधीन गठित बोर्ड द्वारा की जायेगी।

(ग) तृतीय चरण—चिकित्सा परीक्षण—कारा महानिरीक्षक द्वारा निर्देशित किसी चिकित्सा संस्थान या उनके द्वारा गठित चिकित्सा दल द्वारा की जायेगी। चिकित्सा दल में एक महिला चिकित्सक का रहना अनिवार्य होगा।

अंतिम रूप से चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक योग्यता जाँच एवं चिकित्सा परीक्षण के आधार पर किया जायेगा।

सीधी भर्ती, शारीरिक योग्यता जाँच एवं चिकित्सा परीक्षण हेतु विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट-‘क’ में उल्लिखित हैं।

(iii) संसूचित रिक्तियों के कोटिवार पाँच गुणा अभ्यर्थियों की सूची आयोग द्वारा शारीरिक योग्यता जाँच हेतु तैयार की जायेगी। शारीरिक योग्यता जाँच निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर गठित एक बोर्ड द्वारा ली जायेगी :—

(क) कारा महानिरीक्षक —अध्यक्ष

(ख) संयुक्त सचिव—सह-निदेशक (प्र०) —सदस्य

(ग) गृह विभाग के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून पंक्ति) —सदस्य

(घ) गृह विभाग के द्वारा मनोनीत बिहार कारा सेवा के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के पदाधिकारी —सदस्य

444/2012

(ड.) कमांडिंग ऑफिसर, झारखंड-बिहार सब एरिया -विशेष आमंत्रित सदस्य

मुख्यालय दानापुर के द्वारा अधिकृत लेफ्टीनेन्ट कर्नल
(सिर्फ सेना के सेवानिवृत्त जुनियर कमिशनड ऑफिसर/
नन कमिशनड ऑफिसर में से नियुक्ति हेतु में कंडिका-III (ड.)
के पदाधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे)

शारीरिक योग्यता जाँच के स्तर परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं।

- (iv) शारीरिक योग्यता जाँच मात्र अर्हक (क्वालिफाईंग) होगी तथा शारीरिक योग्यता जाँच में सफल होने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा की मेधा सूची के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जायेगा।
- (v) यदि रिक्तियों के पाँच गुणा अभ्यर्थियों की सूची में से रिक्तियों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थी शारीरिक योग्यता जाँच अथवा चिकित्सा परीक्षण में सफल नहीं होते हैं तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पुनः शेष रिक्तियों के पाँच गुणा उम्मीदवारों की सूची बनायी जायेगी तथा उपरोक्त प्रक्रिया पुनः अपनायी जायेगी।
- (vi) चिकित्सा परीक्षण- शारीरिक योग्यता जाँच में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षण के अधीन होंगे। उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन परिशिष्ट 'क' में दिये गये मानकों के अनुसार किया जायेगा एवं अभ्यर्थियों के स्वस्थ होने पर ही नियुक्ति की जायेगी।
नियुक्ति प्राधिकार को चिकित्सा परीक्षण की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, आयोग की अनुशंसा सूची के किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को मंजूर या नामंजूर करने की अधिकारिता होगी।

2. पूर्व सैनिकों से नियुक्ति। -

- (i) 30% पदों पर नियुक्ति सेना के सेवानिवृत्त कर्मियों से आवेदन आमंत्रित करके की जायेगी।
- (ii) सेना के सेवानिवृत्त जुनियर कमिशनड ऑफिसर्स/नॉन कमिशनड ऑफिसर्स में से नियुक्ति की जायेगी।
- (iii) इस श्रेणी से नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
- (iv) पूर्व सैनिकों से नियुक्ति हेतु आवेदन कारा निरीक्षणालय द्वारा विज्ञापन देकर मांगे जायेंगे। प्राप्त आवेदनों की विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार छानबीन एवं छटाई करते हुए उनकी संख्या के आधार पर लिखित परीक्षा यदि, आवश्यक हुई तो, आवश्यकतानुसार कारा महानिरीक्षक द्वारा निर्धारित कर आयोजित की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण किया जायेगा तथा स्वस्थ होने पर ही नियुक्ति की जायेगी।

3. मुख्य उच्च कक्षपाल पद से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति। -

- (i) 20% पदों पर नियुक्ति मुख्य उच्च कक्षपाल के पद पर कार्यरत कार्मिकों में से सेवा इतिहास, चिकित्सा परीक्षण एवं वरीयता के आधार पर की जायेगी।
- (ii) मुख्य उच्च कक्षपाल के पद से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता स्नातक उत्तीर्ण होगी।

(ii) बिहार आरक्षण अधिनियम के समय-समय पर लागू प्रावधान प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर लागू होंगे और इसका लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासियों को ही देय होगा।

8. परिवीक्षा अवधि। — इस पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से नवनियुक्त कर्मियों के लिये परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर पदधारी को सेवा से हटाया जा सकेगा।

9. सम्पुष्टि। — परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद होने एवं विभागीय परीक्षा में सफल होने के उपरान्त कारा महानिरीक्षक द्वारा सेवा संपुष्ट की जायेगी।

10. वेतनमान। — राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित संवर्ग के लिए विहित वेतनमान एवं तदनुसार अन्य भत्ते अनुमान्य होंगे।

11. वरीयता। — (i) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक कारापालों की वरीयता आयोग द्वारा निर्गत मेधा सूची के आधार पर निश्चित की जायेगी।

(ii) प्रोन्नति द्वारा नियुक्त सहायक कारापाल की वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित किये गये प्रावधानों के अनुसार निश्चित की जायेगी।

12. संवर्ग की प्रास्थिति। — राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्गत वर्गीकरण के अनुसार, यह संवर्ग समूह 'ग' या अन्यथा का होगा। यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।

13. अनुशासन, अपील एवं शास्तियाँ। — इस संवर्ग के सभी सदस्यों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे।

14. निरसन एवं व्यावृत्ति। — (1) इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व सहायक कारापाल संवर्ग एवं पद हेतु अधिसूचित बिहार सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली-2010 एवं लागू सभी नियम/संकल्प/परिपत्र/आदेश निरसित समझे जायेंगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावलियों/संकल्पों/परिपत्रों एवं आदेशों के अधीन या द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया था की गई समझी जायेगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवर्तन में थी जब वैसा किया गया था या वैसी कार्रवाई की गयी थी।

26/12/12

15. कठिनाईयों को दूर किया जाना। -

इस नियमावली के किसी भी प्रावधान या नियम को लागू करने के संबंध में उद्भुत कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति, सरकार के अनुमोदन से, कारा निरीक्षणालय को होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(लक्ष्मी प्रसाद चौहान)

सयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)

ज्ञापांक- 5629

पटना, दिनांक- 26-12-12

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, गुलजारबाग प्रेस, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायें।

सयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)

ज्ञापांक- 5629

पटना, दिनांक- 26-12-12

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)

ज्ञापांक 5629

पटना, दिनांक- 26-12-12

प्रतिलिपि:- सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)

ज्ञापांक 5629

पटना, दिनांक- 26-12-12

प्रतिलिपि:- कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना/अधीक्षक, केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/उपकारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)

परिशिष्ट 'क'

सहायक कारापाल हेतु आयोग एक परीक्षा आयोजित करेगा जिसमें रिक्तियों के अनुपात में मेधा क्रम के अनुसार सूची तैयार की जायेगी तथा सहायक कारापाल के पद हेतु उम्मीदवारों की अनुशंसा भेजेगी।

आयोग परीक्षा संचालित कर लेने के बाद अभ्यर्थिता के आधार पर आरक्षणवार सहायक कारापाल की सूची तैयार करेगा और शारीरिक जाँच हेतु गठित बोर्ड को भेज देगा।

(क) लिखित परीक्षा। -

(i) लिखित परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी।

(ii) प्रश्न पत्र द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेजी) और वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा।

(iii) प्रश्न पत्र की संख्या तीन होगी।

(क) प्रथम प्रश्न पत्र- इसमें दो खंड होंगे अर्थात् अंग्रेजी और गणित।

यह प्रश्न पत्र अनिवार्य एवं इसका स्तर मैट्रिक स्तरीय होगा तथा प्रश्नों की संख्या स्वरूप एवं समयावधि आयोग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) द्वितीय प्रश्न पत्र- इसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जायेंगे, जो स्नातक स्तर के होंगे।

(ग) तृतीय प्रश्न पत्र- यह प्रश्न पत्र वैकल्पिक होगा जिसमें समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान दोनों विषयों में आयोग परीक्षा लेगा। उम्मीदवार उक्त दोनों विषयों में से किसी एक विषय का विकल्प तृतीय प्रश्न पत्र के रूप में दे सकेगा। विकल्प का उल्लेख आवेदन में आवेदक द्वारा कर दिया जायेगा।

(iv) प्रश्नों की संख्या, स्वरूप एवं समयावधि आयोग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

✓ (v) परन्तु, गृह विभाग की सहमति से यदि प्रशासनिक कारणों से आयोग अन्य सेवाओं के साथ संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन करने का निर्णय ले तो, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विहित पाठ्यक्रम ही इस पद के लिए भी चयन हेतु विहित पाठ्यक्रम माना जायेगा।

(vi) आयोग लिखित परीक्षा के आधार पर अधिसूचित कोटिवार रिक्तियों के पांच गुणा अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उसे शारीरिक जांच हेतु कारा महानिरीक्षक, बिहार को भेज देगा।

Handwritten signature/initials

(ख) शारीरिक योग्यता —

1. आयोग द्वारा रिक्तियों के विरुद्ध कोटिवार अनुशंसित उम्मीदवारों की शारीरिक योग्यता की जाँच बोर्ड द्वारा ली जायेगी। उम्मीदवारों के लिए विहित शारीरिक मानकों के अनुसार योग्य होना आवश्यक है।
2. बोर्ड के समक्ष शारीरिक योग्यता जाँच के मानक:—
 - (i) उम्मीदवार को शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उन्हें ऐसी बीमारी/अशक्तता से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कुशलतापूर्वक कार्य करने में बाधा पड़ सकती हो।
 - (ii) उनमें कमजोर शारीरिक गठन, दैहिक दोष की स्थूलता नहीं होनी चाहिए और घुटने जुड़ना—नॉकिंग नी एवं चपटे तलवे—फ्लैट फुट नहीं होनी चाहिए।
 - (iii) पुरुषों का कद (सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए) कम से कम 165 से.मी. तथा अनु0जाति/जन जाति—160 से.मी. हो।
 - (iv) महिला अभ्यर्थियों की ऊँचाई न्यूनतम 160 से.मी. तथा वजन न्यूनतम 48 किलोग्राम होना चाहिए।
 - (v) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि शारीरिक योग्यता परीक्षा हेतु रिपोर्ट करने से पहले कान की मैल, आँखों के अपवर्तन दोष, त्वचा आदि के कवकी संक्रमण के लिए प्रारंभिक चिकित्सा जाँच अपने स्तर से करवा लें।
 - (vi) छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए तथा न्यूनतम माप 81 से.मी. होनी चाहिए तथा अनु0जाति/जन जाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम माप 79 से.मी. होनी चाहिए। पूरा सांस लेने के बाद सीना का फुलाव न्यूनतम 86 से.मी. तथा अनु0जाति/जन जाति के अभ्यर्थियों का 84 से.मी. होना चाहिए। माप इस तरह फीता लगाकर की जाएगी कि इसका निचला किनारा सामने चूचक से लगा रहे और फीते का ऊपरी भाग पीछे स्कंध फलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोण (लोअर एंगिल) को छूते रहना चाहिए।
 - (vii) दौड़ — 6 मिनट के अन्दर 1 मील
 - (viii) ऊँची कूद — न्यूनतम 4 फीट (सभी पुरुष उम्मीदवारों के लिए)
 - (ix) लम्बी कूद — न्यूनतम 12 फीट (सभी पुरुष उम्मीदवारों के लिए)

(x) बीम-5 पुल अप (तीन अवसर दिये जायेंगे) — (सभी पुरुष उम्मीदवारों के लिए)

(xi) गोला फेंक 16 पौंड — न्यूनतम 16 फीट — (सभी पुरुष उम्मीदवारों के लिए)
शारीरिक योग्यता जाँच मात्र योग्यता प्रदायी (क्वालिफाईंग) होगी।

(ग) चिकित्सा परीक्षण —

1. सीधी भर्ती हेतु —

(i) उम्मीदवार को घुटने जुड़ना — (नॉकिंग नी) एवं चपटे तलवे (पलैट फुट) के लक्षण नहीं होनी चाहिए।

(ii) उम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सके, उम्मीदवार को इस योग्य होना चाहिए कि वह शांत कमरे में प्रत्येक कान से 6'10" की दूरी से जोर की कानाफूसी सुन सके।

(iii) यदि किसी उम्मीदवार को हर्निया/हाइड्रोसील हो तो शल्य चिकित्सा के पश्चात् ही उनकी उम्मीदवारी योग्य समझी जाएगी।

(iv) उम्मीदवारों को आँखों की कोई गंभीर बीमारी नहीं हो। नेत्रों की दृष्टि चश्मा सहित या चश्मा रहित 6/6 होनी चाहिए रात्रि अंधता या वर्णांध (कलर ब्लाइन्डनेस) नहीं होनी चाहिए।

2. पूर्व सैनिकों से नियुक्ति एवं मुख्य उच्च कक्षपाल से सहायक कारापाल के पद पर नियुक्ति हेतु चिकित्सा परीक्षण के मानक —

(i) उम्मीदवार को घुटने जुड़ना (नॉकिंग नी) एवं चपटे तलवे (पलैट फुट) की लक्षण नहीं होनी चाहिए।

(ii) उम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सके एवं श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) का प्रयोग करने की बाध्यता न हो।

(iii) यदि किसी उम्मीदवार को हर्निया/हाइड्रोसील हो तो शल्य चिकित्सा के पश्चात् ही उनकी उम्मीदवारी योग्य समझी जाएगी।

(iv) उम्मीदवारों को आँखों की कोई गंभीर बीमारी नहीं हो। नेत्रों की दृष्टि चश्मा सहित या चश्मा रहित 6/6 होनी चाहिए रात्रि अंधता या वर्णांध (कलर ब्लाइन्डनेस) नहीं होनी चाहिए।

(घ) भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के संबंध में प्रावधान :-

भूतपूर्व सैनिक शब्द से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौ सेना एवं वायु सेना में (चाहे काम्बेटेंट या नन काम्बेटेंट के रूप में) किसी भी रैंक में सेवा की हो परन्तु इसमें वे व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं जिसने रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरी फोर्स, लोक सहायक सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों में सेवा की हो और

- (i) जो अपनी पेंशन प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं या
- (ii) जो मिलिट्री सेवा के लिए लागू स्वास्थ्य मानकों के आधार पर अथवा अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों में ऐसी सेवा से मुक्त किया जा चुका है और उसे चिकित्सा अथवा अशक्तता पेंशन प्रदान की जा चुकी है, या
- (iii) जिन्हें सेवा कम किये जाने के फलस्वरूप ऐसी सेवाओं से अपने अनुरोध से अन्यथा मुक्त कर दिया गया है, या
- (iv) स्वयं के अनुरोध पर अथवा दुर्व्यवहार या अप्रवीणता के कारण वर्खास्तगी या डिस्चार्ज से अन्यथा जिन्हें सेवा शर्तों की अवधिपूर्ण करने पर ऐसी सेवा से सेवामुक्त किए जा चुके हैं; और उन्हें उपदान प्रदान किया गया है तथा इनमें प्रादेशिक सेना की निम्न कोटियों के कार्मिक सम्मिलित हैं :-
 - (i) लगातार सम्मिलित सेवा के लिए पेंशनधारी,
 - (ii) मिलिट्री सेवा के मानकों के आधार पर अशक्तता पेंशन भोगी और
 - (iii) वीरता पुरस्कार विजेता।

(संघ के सशस्त्रबलों में कार्यरत व्यक्तियों को, जो सेवानिवृत्ति के उपरांत भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आ जायेंगे, सेवा में निर्धारित अवधि पूर्ण करने के एक साल पहले पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है और वे भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध रियायतों का लाभ उठा सकते हैं किन्तु उन्हें संघ के सशस्त्र बलों में निर्धारित सेवा की अवधि को पूर्ण करने से पहले सेवामुक्त होने की अनुमति नहीं दिये जायेंगे)

- (v) संबंधित पदों हेतु विज्ञापित आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व मिलिट्री सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले सेवारत कर्मचारी उक्त विज्ञापन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
- (vi) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो मैट्रिकुलेट हैं पर 15 वर्ष तक लगातार सशस्त्र सेना में सेवा कर चुके हैं ऐसे पदों के लिए भी योग्य समझे जायेंगे जिनकी वांछित योग्यता विश्वविद्यालय की डिग्री है तथा उन्हें इस आशय का सेना से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (vii) भूतपूर्व सैनिक के लिए उपरी आयु सीमा में शिथिलता उनके द्वारा रक्षा सेवा में की गई सेवा की अवधि से 3 वर्ष या अधिक तक के लिए होगी, यदि उन्होंने सेना में न्यूनतम 6 माह की सत्यापित सेवा की हो।
- (viii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल चिकित्सा परीक्षण में शामिल होने की अनिवार्यता होगी तथा उन्हें शारीरिक योग्यता परीक्षा एवं शैक्षणिक योग्यता में कुल छूट देय होगी।
- (ix) पूर्व सैनिकों से भर्ती हेतु आवेदन कारा निरीक्षणालय द्वारा विज्ञापन देकर आमंत्रित किये जायेंगे। उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकार अपने स्वविवेक से एक स्क्रीनिंग टेस्ट (लिखित परीक्षा) आयोजित करेंगे। जिसके माध्यम से उम्मीदवारों में से उपयुक्त उम्मीदवार का चयन किया जायेगा। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें गणित, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिन्दी विषय से प्रश्न होंगे।

Handwritten signature

(x) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में पूर्व सैनिकों के (केन्द्रीय सिविल सेवा में तथा पदों की) पुनः नौकरी नियम, 1979 के प्रावधानों के तहत ही नियुक्ति संबंध दावे की अनुमान्यता होगी।

